

निर्णय

27-08-2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

2024/544

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
अभयराम आदि बनाम स्टेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 40 / वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
21.08.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">८१</p>	
27-8-2024	<p>वकील वकील ने, पत्रावली - पत्र मिकाल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। कुल्लाए फरिश्तेन उपस्थित। साथ में शपथ पत्र पेश किया। स्टेट पत्रावली प्राप्त हुआ। बहक सुनी गई। पत्रावली का इन्वेकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड जारी के आधार पर वाद वही रिक्ती किया जाता है। पूर्ण बिकान अग्रित मिकाल अलग से लिखाया जाकर शामिल फरिश्तेन किया जाये। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर बाइ तरीक तक्रारील जादा दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">८१</p>	



डिक्री बमुकदमें ईबदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 401/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. अभयराम पुत्र कृष्णचन्द्र जाति जाट निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राज0।
2. सुभाष पुत्र कृष्णचन्द्र जाति जाट निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ राज0।

-वादीगण

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री विनोद कुमार स्वामी वकील-वादीगण
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 27-08-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री विनोद कुमार स्वामी वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक 2 एनडब्ल्यूएम के खाता संख्या 25/20 के पत्थर नम्बर 16/48 (42) किला नम्बर 3, 8, 13, 18 की 1.0120 है. कृषि भूमि में दर्ज वादी संख्या 1 का नाम अभयराम पुत्र किरशन कुमार के स्थान पर अभयराम पुत्र कृष्णचन्द्र व चक 2 एनडब्ल्यूएम के खाता संख्या 10/9 के पत्थर नम्बर 16/53 (30) किला नम्बर 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23/2, 24/2, 25/2, 25/3 की 3.7190 है. कृषि भूमि में दर्ज वादी संख्या 1 का नाम अभिराम पुत्र कृष्ण के स्थान पर अभयराम पुत्र कृष्णचन्द्र तथा वादी संख्या 2 का नाम सुभाष पुत्र कृष्ण के स्थान पर सुभाष पुत्र कृष्णचन्द्र दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27-08-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर